(2)

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–3143/नौ–5–2016–230सा/16
लखनऊ :: दिनांक 28 सितम्बर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित **'स्मार्ट सिटी मिशन'** के अन्तर्गत राउण्ड–2 में देश के कुल चयनित 27 शहरों में 03 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें कानपुर भी सम्मिलित है। इसके साथ ही कानपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से धनावंटन हेतु अर्ह हो गया है। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार चयनित नगरों में प्रस्तावित कार्यो का कियान्वयन विशेष प्रयोजन साधन (SPV-Special Purpose Vehicle) के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है। तदनुसार नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर के पत्र संख्या–डी/119/न0आ0/प्रो सेल/2016–17, दिनांक 23.09.2016 द्वारा किए गए प्रस्ताव व कार्यालय–ज्ञाप संख्या 1205/नौ–5–2016–116सा/16 दिनांक 16 अप्रैल, 2016 के क्रम में एतद्द्वारा **कानपुर स्मार्ट सिटी में स्पेशल पर्पज व्हेकिल** (SPV) के निम्नानुसार गठन किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– स्पेशल पर्पज व्हेकिल (एस.पी.वी.) का इनकार्पोरेशन कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के रूप में किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कानपुर स्मार्ट सिटी प्रपोजल में निहित परियोजनाओं की डी.पी.आर. स्वीकृत करने, धनराशि अवमुक्त करने, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत होगी।

2– कानपुर एस.पी.वी. कम्पनीज् एक्ट–2013 के अन्तर्गत एक लिमिटेड कम्पनी होगी जिसमें राज्य सरकार एवं कानपुर नगर निगम प्रमोटर्स होंगे, जिनकी 50 : 50 इक्विटी शेयर होल्डिंग होगी।

3– पृथक कार्यालय स्थापित होने तक एस.पी.वी. कानपुर स्मार्ट सिटी लि0 का पंजीकृत पता निम्नवत् होगा:–

"**कानपुर नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील, कानपुर**–202002 "

4– एस.पी.वी. का प्रारम्भिक Authorised capital & paid up capital क्रमशः रु. 50 लाख होगा जो स्मार्ट सिटी मिशन दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर बढ़कर रु. 394 करोड़ (रू0 194+200 करोड़) हो जायेगा।

5– एस.पी.वी. के इनकार्पोरेशन के आवेदन हेतु प्रारम्भिक चरण में निम्नलिखित तीन निदेशक होंगे :–

iv. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।

v. स्मार्ट सिटी मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. द्वारा नामित प्रतिनिधि

vi. नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।

6– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1205/नौ–5–2016–116सा/16 दिनांक 16 अप्रैल, 2016 के कम में अन्य निदेशक निम्नवत् होंगे, जिन्हें बोर्ड की प्रथम बैठक में सम्मिलित किया जायेगा–

1– उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

2– मुख्य अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कानपुर।

3– मुख्य अभियंता, उ.प्र. जल निगम, कानपुर।

4– सहयुक्त निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, कानपुर।

5– निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ अथवा उनके प्रतिनिधि।

6– पुलिस अधिक्षक (यातायात), कानपुर।

7– अन्य दो Independent Directors कम्पनी अधिनियम 2013 में विहित प्राविधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जायेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में परियोजना की प्रकृति के अनुसार राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग/स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि भी एस.पी.वी. में निदेशक के रूप में निर्धारित अवधि के लिए एस.पी.वी. बोर्ड के निदेशक मण्डल द्वारा नामित किए जा सकेंगे।

8– एस.पी.वी. का Memorandum and Articles of Association भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के पत्र संख्या K-15016/61/2015-SC-1 दिनांक 28.01.2016 के अनुसार होगा। एस.पी.वी का Memorandum and Articles of Association का अनुमोदन विधिक परामर्श के बाद राज्य सरकार का नगर विकास विभाग करेगा।

9– एस.पी.वी. का पृथक बैंक खाता खोला जायेगा।

10– एस.पी.वी. का पृथक कार्यालय खोला जाएगा तथा यथावश्यकता भवन किराये पर लिया जाएगा। इस हेतु उपलब्धता के आधार पर सरकारी भवनों को वरीयता दी जायेगी। भवन के किराए का भुगतान स्मार्ट सिटी A&OE मद से किया जायेगा।

11– स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन (विशेषज्ञो एवं कार्मिको) की नियुक्ति निम्नवत् की जायेगी:–

i. राज्य सरकार, प्राधिकरण, नगरीय निकायो से प्रतिनियुक्ति के आधार पर।
ii. एस.पी.वी. की आवश्यकतानुसार बाजार से outsourcing के माध्यम से।
iii. भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के एच.आर. इम्पैनेल्ड एजेंसी के माध्यम से।
iv. एस.पी.वी. बोर्ड के अनुमोदन द्वारा अन्य स्रोतो से।

12– स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एस.पी.वी. का प्रारम्भिक verticals निम्नवत् होगा:–

Verticals of SPV

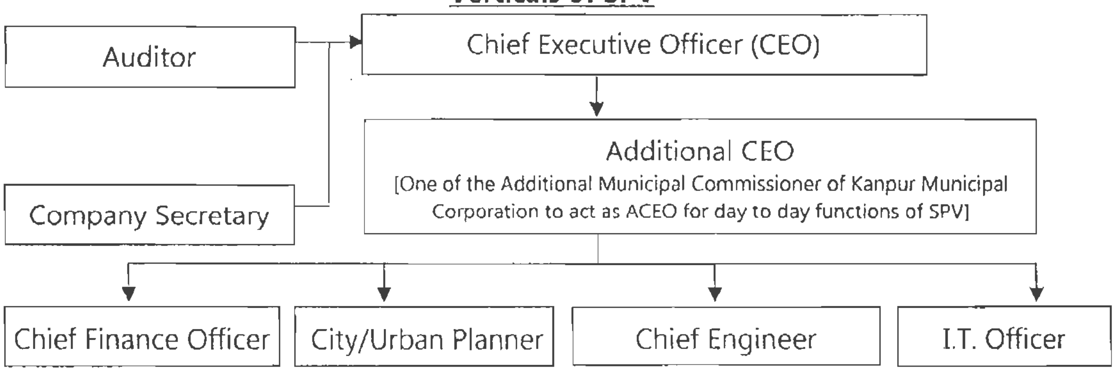

i. नगर निगम कानपुर के नगर आयुक्त एस.पी.वी. के CEO होंगे।
ii. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर दिन–प्रतिदिन के कार्यो हेतु एस.पी.वी. के Additional CEO होंगे।
iii. एस.पी.वी. की प्रथम बोर्ड बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा Auditors एवं Company Secretory की नियुक्ति की जायेगी।
iv. मुख्य लेखाधिकारी, सिटी अर्बन प्लानर, मुख्य अभियंता तथा आई.टी. आफिसर की नियुक्ति इस कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–11 के अनुसार किया जायेगा।

13– कानपुर नगर निगम एस.पी.वी. के इनकार्पोरेशन का कार्य या तो स्वयं करेगा अथवा विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से करेगा। इसका जो भी व्यय होगा वह स्मार्ट सिटी मिशन के AE&O मद से किया जायेगा।

14– स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की डिजायनिंग, विकास, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु कानपुर नगर निगम द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का चयन एस.पी.वी. के गठन के पश्चात् एस.पी.वी. द्वारा भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

28/9/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या–3143(1)/नौ–5–2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/निजी सचिव, मा. मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
2– सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/वित्त/नियोजन/परिवहन/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टॉफ आफिसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5– मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6– स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी)/निदेशक, नगर निकाय, उ.प्र., लखनऊ
7– निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
8– मण्डलायुक्त, कानपुर।
9– जिलाधिकारी, कानपुर।
10– उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
11– मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर।
12– मा0 महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर।
13– प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
14– निदेशक, सी. एण्ड डी.एस. उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
15– मुख्य अभियंता, सम्बन्धित विद्युत वितरण मण्डल।
16– मुख्य अभियंता, उ.प्र. जल निगम, कानपुर।
17– सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, कानपुर।
18– निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
19– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।